



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 596 राँची, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

संकल्प

16 दिसम्बर, 2022

विषय:- मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-62/स.को., दिनांक-06.12.2000 एवं पत्रांक-67/स.को., दिनांक-24.02.2001 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रीगण को देय सुविधाओं में संशोधन के संबंध में।

संख्या.-सी.एस.-01/विविध-10/2022.....1503--राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण का वेतन, भत्ता एवं अन्य देय सुविधाओं के सम्बन्ध में वेतन एवं भत्ता नियमावली गठित है। उक्त नियमावली में, माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण को अनुमान्य उपस्कर एवं आवासीय कार्यालय सुसज्जन तथा उसके रख-रखाव (मरम्मत) हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-62/स.को., दिनांक-06.12.2000 एवं पत्रांक-67/स.को., दिनांक-24.02.2001 द्वारा माननीय मंत्री/राज्य मंत्री को अनुमान्य उपस्कर एवं आवासीय कार्यालय सुसज्जन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत है।

2. झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-1625, दिनांक-28.09.2021 द्वारा झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नेता विरोधी दल, सचेतकगण, मंत्रीगण को झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों के अनुरूप उपस्कर सुविधा प्रदान करने के निमित्त सुझाव और प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए 05 (पाँच) सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है कि वर्तमान में जो उपस्कर सुविधा माननीय सदस्यों को दी जाती है वही सुविधा झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नेता विरोधी दल, सचेतकगण, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण को भी दी जाय ।

3. उपर्युक्त के आलोक में, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत पत्रांक-62/स.को., दिनांक-06.12.2000 एवं पत्रांक-67/स.को., दिनांक-24.02.2001 में संशोधन करते हुए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण को अनुमान्य उपस्कर एवं आवासीय कार्यालय सुसज्जन तथा उसके रख-रखाव (मरम्मत) मद में देय राशि में संशोधन करते हुए क्रमशः एक टर्म के लिए राशि 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र तथा प्रतिवर्ष राशि 20,000/- (बीस हजार) मात्र किया जाता है ।

4. यह प्रावधान आदेश निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
